कायोलय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 ...45.../2017–18

राजेन्द्र सिंह,
पिता– स्व0 कुंवर सिंह,
साकिन– तिलैया बस्ती

17.08.2017

श्री राजेन्द्र सिंह, स्व कुंवर सिंह, साकिन– तिलैया बस्ती, वार्ड नं0– 03, थाना– तिलैया, पो0 झुमरी तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि 'मौजा– तिलैया, थाना नं0 244 जिसका खाता सं0 797 है, जो मेरा खतियानी जमीन है, जिसका पूर्व में जमाबंदी पंजी II के पेज सं0 128/3 पर चल रहा था, फट जाने के कारण मुझे आवश्यक कार्य हेतु काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और न तो मैं राजस्व शूल्क दे पा रहा हूँ।'

राजेन्द्र सिंह द्वारा नया जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 'प्रश्नगत भूमि, मौजा– तिलैया, थाना नं0 244 के खाता सं0 797, रकबा– 1.03 ए0 रैयती भूमि है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मालगुजारी रसीद में खाता सं0 797, रकबा– 1.03 ए0 भूमि पंजी II के पृष्ट सं0 128/3 पर दर्ज होने का उल्लेख है।'

अंचल अमीन के द्वारा आवेदक की उपस्थिति में स्थानीय जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्लॉट नं0 4764, रकबा– 0.21 ए0 भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है तथा प्लॉट नं0 4781, रकबा– 0.29 ए0 भूमि पर भी खेती की जा रही है। प्लॉट नं0 4528, रकबा – 0.35 ए0 भूमि पर अंश में मकान एवं बारी है। प्लॉट नं0 5060 वो प्लॉट नं0 5262 दोनों प्लॉट का रकबा– 0.02 + 0.03 कुल 0.05 एकड़ भूमि पर वर्तमान में परती पाया गया। उपर्युक्त भूमि की जाँच आवेदक की उपस्थिति में किया गया। जिस पर आवेदक एवं इसके हिस्सेदार बालेश्वर सिंह वो शंकर सिंह पिता– स्व0 बिशुनधारी सिंह, वो होरिल सिंह पिता– स्व0 कुवंर सिंह के द्वारा अपना दखल–कब्जा बताया गया। जाँच के क्रम किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

आवेदक को नोटिस निर्गत कर मूल कागजातों की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ...28.../...08.../2017 को उपस्थापित करें।

17/08/2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

28.08.2017

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक की ओर श्री नकुल कुमार सिंह, पिता– श्री बालेश्वर सिंह, साकिन– तिलैया बस्ती उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान, सरकारी लगान रसीद सं0– 411001 दिनांक 30.03.1981, शपथ–पत्र सं0– 3843 दिनांक 11.09.2017 प्रस्तुत किया गया है।

आम–इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ...22.../...09.../2017 को उपस्थापित करें।

28/08/2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

22.09.2017

अभिलेख उपस्थापित।

आम–इस्तहार का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई दावा/आपत्ति नहीं किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर के प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों तथा शपथपत्र सं0– 3843 दिनांक 11.092017 के अवलोकन के उपरांत पर मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता सं0– 797, **प्लॉट नं0**– 4528, रकबा– 0.35 ए0; **प्लॉट नं0**– 4764, रकबा– 0.21 ए0; **प्लॉट नं0**–4781, रकबा– 0.29 ए0, **प्लॉट नं0**– 5060, रकबा– 0.02 ए0; **प्लॉट नं0**– 5262, रकबा– 0.03 ए0, **कुल रकबा– 0.90 ए0, माल– 23.98 रू0** की जमाबंदी ऑनलाइन पंजी II में विसुनधारी सिंह वो कुँवर सिंह, पिता– सीटन सिंह के नाम से कायम करने का आदेश निर्गत किया जाता है। अभिलेख में कार्रवाई बंद की जाती है।

22/09/2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner